मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 126-197-1 (3)-77

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 1977

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच में गवाहों के सही पता देने के बारे में.

राज्य सतर्कता आयोग ने शासन को सूचित किया है कि कई विभागों द्वारा विभागीय जांच में गवाहों के नाम, पदनाम तथा उनके पते के बारे में अद्यावत जानकारी नहीं दी जाती है. जिसके कारण गवाहों को बुलाने में विलम्ब होता है.

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि विभागीय जांच में आरोप-पत्र के साथ गवाहों की सूची में गवाहों के पूर्ण नाम, उनका पदनाम तथा वे किस स्थान पर कार्यरत हैं, इसकी जानकारी दी जाए. गवाहों के पदनाम के सम्बन्ध में उनका वर्तमान पदनाम क्या है, यह लिखा जाए न कि उस समय का पदनाम, जिस समय की विभागीय जांच हो.

3. कृपया आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी उपर्युक्त अनुदेश से अवगत कराते हुए पालन करने का निदेश देने की कृपा करें.

हस्ता./-
(जी. वेंकन्ना)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.